STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW

विषय Higher Authority Decision No.

ध्यान दें :

दावेदार नियोक्ता

<u>केस का विवरण</u> :

दावेदार द्वारा ........... से प्रभावी बेरोजगारी बीमा लाभों के लिए एक NEW INITIAL CLAIM (NIC) फाइल किया गया। इसके पश्चात Division of Employment Security ("Division") द्वारा निर्धारित किया गया कि दावेदार को जिस साप्ताहिक बीमा लाभ का भुगतान किया गया वह $ ..... राशि का था व उस वर्ष के दौरान जिस वर्ष दावेदार द्वारा लाभ वर्ष को स्थापित किया गया बेरोजगारी बीमा लाभ की अधिकतम राशि जिसका भुगतान दावेदार को किया गया, वह $ ..... राशि का था।

क्लेम को अंतिम रोजगार से अलग करने के विषय पर निपटान हेतु संदर्भित किया गया। रेफरी द्वारा यह पाए जाने पर कि N.C. Gen. Stat. §96-14( ). का अनुसरण करते हुए लाभों को प्राप्त करने हेतु दावेदार (अयोग्य) (योग्य नही) है, जिसके लिए रेफरी द्वारा डॉकेट नबंर ... के तहत एक निर्णय जारी किया गया। (दावेदार) (नियोक्ता) द्वारा निर्धारण के लिए एक अपील फाइल की गई और अपील रेफरी द्वारा अपील डॉकेट नंबर ... के अंतर्गत इस विषय को सुना गया। सुनवाई के दौरान अपील रेफरी के समक्ष निम्न व्यक्तियों की उपस्थिति दर्ज हुई। ......... को रेफरी द्वारा एक निर्णय जारी किया गया जिसमें यह पाया गया कि N.C. Gen. Stat. §96-14( ) के अनुसार दावेदार लाभों को प्राप्त करने के लिए अयोग्य (नही) है। (दावेदार) (नियोक्ता) द्वारा अपील की गई।

तथ्यों के प्राप्त करना :

1. दावेदार द्वारा .......... से अवधि के लिए लगातार बेरोजगारी बीमा लाभों को क्लेम को प्राप्त करने के लिए फाइल किया गया है। दावेदार काम के लिए विभाग में पंजीकृत है,

जैसाकि विभाग द्वारा अपील की गई है, दावेदार द्वारा रोजगार कार्यलय में रिपोर्ट करना जारी रखा गया व N.C. Gen. Stat. §96-15(a). के अनुसरण साथ लाभों का क्लेम किया।

2. दावेदार द्वारा नियोक्ता के पास काम करना ....... को या से शुरू किया गया। उसने अंतिम बार नियोक्ता के लिए काम .......... को किया।



<u>कानूनी ज्ञापन :</u>

रोजगार सुरक्षा कानून प्रदान करता है :

निम्न व्यक्तियों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए लाभों का भुगतान कोड के सेक्शन 3304 के द्वारा अनुमति दी गई सीमा तक नही किया जाऐगा :

**(1)** शैक्षिक संस्थानों के प्रशिक्षण, शोध या प्रमुख प्रशासनिक कर्मचारियों को

**(2)** वे कर्मचारी जो एक शैक्षिक संस्थान के लिए किसी अन्य क्षमता में सेवा उपलब्ध करवाते हैं।

**(3)** वे व्यक्ति जो एक शैक्षिक संस्थान में इस उपविभाग के उपभाग (1) या (2) में परिभाषित सेवाओं को एक शैक्षिक सेवा ऐजेंसी के कर्मचारी रहते हुए प्रदान करते हैं। "शैक्षिक सेवा ऐजेंसी" वाक्य का अर्थ समान है, जैसाकि कोड के सेक्शन 3304 में परिभाषित किया गया है।

N.C. Gen. Stat. §96-14.1(e).

संघीय बेरोजगारी कर एक्ट ,जिसे **Internal Revenue Code** के अध्याय 23 के उपशीर्षक सी में पाया गया, कहता है :

हर्जाने का भुगतान उस सेवा के आधार पर किया जाऐगा, जिसके लिए सेक्शन 3309(a)(1) लागू होता है, समान राशि में, समान अवधि में व समान परिस्थितियों का विषय है, चूंकि अन्य सेवा

के आधार पर भुगतान किया जाने वाली हर्जाना इस कानून के विषयाधीन है, जिसमें निम्न अपवाद हैं,

(1) एक शैक्षिक संस्थान जिस पर सेक्शन 3309(a)(1) लागू होता है, के लिए प्रशिक्षण, शोध या प्रमुख प्रशासनिक क्षमता से संबंधित सेवा देना, उस प्रकार की सेवाओं पर आधारित हर्जाने का भुगतान, जो दो सफलतम शैक्षिक वर्ष या अवधि काल (या जब एक समझौता द्वारा यह बताया जाए कि दो नियमित परंतु सफल अवधिकाल के बीच नही समान अवधि के लिए विकल्प दे, उस अवधि के दौरान) शुरू होने वाले सप्ताह में दी गई सेवाओं के लिए किसी भी व्यक्ति को न किया जाए, यदि व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की सेवा इस तरह के शैक्षिक वर्ष (या अवधिकाल) के आरंभ में दी जाती है और यदि वहां पर एक संविदा की गई है या तार्किक आश्वासन कि वह व्यक्ति उस क्षमता की अपनी सेवाओं को किसी भी शैक्षिक संस्थान को इस प्रकार के शैक्षिक वर्ष या काल के दूसरे भाग में देगा।

(2) एक शैक्षिक संस्थान जिस पर सेक्शन 3309(a)(1) लागू होता है, के लिए किसी भी अन्य क्षमता से संबंधित सेवा -

1. इस प्रकार की सेवाओं पर आधारित हर्जाने का भुगतान को व्यक्ति को देने हेतु किसी भी उस सप्ताह के लिए खारिज किया जा सकता है, जो दो सफल शैक्षिक वर्ष या अवधि के दौरान शुरू होता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा इस प्रकार के शैक्षिक वर्ष या काल के प्रथम में देता है और वहां पर एक तार्किक आश्वासन हो है किवह व्यक्ति अपनी सेवा निम्न अपवाद को छोड़कर शैक्षिक वर्ष या अवधि के दूसरे भाग में देगा -
2. यदि किसी व्यक्ति को उपखंड (1) के अंतर्गत किसी भी सप्ताह के लिए हर्जाना का भुगतान खारिज किया जाता है व उस व्यक्ति को शैक्षिक संस्थान के शैक्षिक वर्ष या अवधिकाल के दूसरे भाग में अपनी सेवा देने का अवसर नही दिया जाता तो वे व्यक्ति प्रत्येक उस सप्ताह जिसके लिए व्यक्ति द्वारा समय से हर्जाना प्राप्त करने हेतु की है, जिसके लिए उसे मात्र उपखंड (1) के कारण हर्जाने का भुगतान करने से मना किया गया था, के लिए पूर्वप्रभावी भुगतान प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं।
3. खंड (1) या (2) में परिभाषित किसी भी सेवा के संबंध में भुगतान किए जाने वाले हर्जाने जिसका आधार इस प्रकार की सेवाएं हैं, का भुगतान किसी भी व्यक्ति के लिए

किसी भी सप्ताह, जिसकी शुरूआत स्थापित व प्रचलित अवकाश अवधि या छुट्टी हेतु लिए गए मध्यावकाश के लिए खारिज किया जाए, यदि व्यक्ति द्वारा अपनी सेवा छुट्टी के अवकाश या मध्यावकाश की अवधि प्रारंभ होने से ठीक पहले दी गई, और वहां पर एक तार्किक आश्वासन दिया गया कि व्यक्ति द्वारा अपनी सेवा इस प्रकार की छुट्टी या अवकाश अवधि के तुरंत बाद दी जाऐगी।

4. खंड (1) व (2) में परिभाषित किसी भी सेवा के संबंध में, हर्जाने का भुगतान इस तरह की किसी भी क्षमता पर आधारित है, को जैसाकि खंड (1) (2) व (3) में विनिर्दिष्ट है, को किसी भी व्यक्ति के लिए जो इस प्रकार की सेवा किसी शैक्षिक संस्थान को एक शैक्षिक सेवा ऐजेंसी का प्रयोग करते हुए, देता है, के लिए खारिज किया जाए व इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए वाक्य "शैक्षिक सेवा ऐंजेंसी" का अर्थ है एक सरकारी ऐजेंसी या सरकारी निकाय जो एक या उससे अधिक शैक्षिक संस्थानों को विशेष तौर पर इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित है व परिचालन करता है।
5. उन सेवाओं से संबंधित जिन पर सेक्शन 3309(a)(1) लागू होता है, यदि इस प्रकार की सेवाओं को किसी शैक्षिक संस्थान के लिए या उसकी ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है तो जैसाकि खंड (1) से लेकर (4) तक में वर्णित है, समान परिस्थितियों के कारण हर्जाने के भुगतान को खारिज किया जा सकता है। और
6. जैसाकि खंड (2) (3) व (4) में जिन सेवाओं को वर्णित किया गया है, के संबंध में "खारिज किया जाए", के स्थान पर "खारिज किया जा सकता है", को प्रयोग कर लागू किया जाए।

26 U.S.C. § 3304(a)(6)(A).

<u>कानून का निष्कर्ष</u>

वर्तमान मामलें में ,अधोहस्ताक्षरी का निष्कर्ष सक्षम व विश्वसनीय साक्ष्यों से निकाला गया है व तथ्यों से पता चला कि .... अधोहस्ताक्षरी आगे यह निष्कर्ष निकालता है कि ..

पूर्ववर्ती पर आधारित, अपील रेफरी के निर्णय को आवश्यक तौर पर ( पुष्टिकरण/पलटना/ संशोधित) किया जाए। इसके अतिरिक्त जो दावेदार को बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त हो रहा है, के लिए आवश्यक तौर पर ( अयोग्य) ( या अयोग्य नही है) स्पष्ट हो।

निर्णय

अपील रेफरी के निर्णय का (पुष्टिकरण) (को पलटना) (संशोधन) किया गया है।

दावेदार बेरोजगारी बीमा लाभों को प्राप्त करने हेतु अयोग्य है, शुरूआत ( अयोग्य नही है) व बेरोजगारी बीमा लाभों को परापत करना आरंभ किया है।

Board of Review के सदसय Susan Doeव John Doe द्वारा इस अपील में भाग लिया

गया व इस निर्णय से सहमति जताई गई।

यह .

BOARD OF REVIEW

.......................................................

अध्यक्ष

नोट : उच्चतम प्राधिकरण द्वारा लिया गया यह निर्णय प्रेषित करने के 30 दिनों के बाद उस स्थिति में अंतिम माना जाएेगा जब उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा हेतु कोई याचिका फाइल नही की जाती, जैसाकि नीचे सांकेतिक है। प्रेषित करने की तिथि को निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर प्राप्त किया जाए। हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह नही देता, कृप्या उच्चतम प्राधिकरण के निर्णय पर अपील किस प्रकार से की जाए, पर अतिरिक्त जानकारी के लिए संलग्न ब्रोशर को देखें। यह ब्रोशर राज्य के सभी सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों में व Division of Employment Security की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप of Employment Security की वेबसाइट www.des.nc.gov के सेक्शन *Frequently Asked Questions* पर भी विजिट कर सकते हैं व स्वयं चुने गए अटार्नी से परामर्श कर सकते हैं।

## न्यायिक समीक्षा के लिए अपील के अधिकार

इस उच्चतम प्राधिकरण निर्णय से अपील उच्चतम न्यायालय के क्लर्क के पास अपीलकर्ता द्वारा उस काउंटी में की जाए जहा पर वह रहता या रहती है या फिर जो अपील करने वाले के व्यावसाय प्रमुख स्थान है। यदि अपील करने वाला पक्ष किसी भी काउंटी में नही रहता/रहती या फिर उसकी व्यावसाय नॉर्थ कैरोलिना की किसी भी काउंटी के प्रमुख स्थानों पर नही है तो अपील को आवश्यक तौर पर नॉर्थ कैरोलिना की प्रमुख काउंटी के उच्चतम न्यायालय के क्लर्क के पास अथवा फिर नॉर्थ कैरोलिना की उस काउंटी के उच्चतम न्यायालय के क्लर्क के पास किया जाए जहां पर विवाद उत्पन्न हुआ है।

उच्चतम प्राधिकरण निर्णय 30 दिनों के बाद उस स्थिति में अंतिम बन जाऐगा जब उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा हेतु समय अवधि के भीतर याचिका N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) and (i). पर विश्वास करते हुए फाइल नही की जाती।

उच्चतम न्यायालय के क्लर्क के पास न्यायिक समीक्षा हेतु फाइल की गई किसी भी याचिका की प्रतियों को याचिका फाइल करने के 10 दिनों के भीतर Division of Employment Security (“Division”) में व कार्यवाही के रिकॉर्ड में मौजूद सभी पक्षों को आवश्यक तौर पर भेजा जाए। याचिका की प्रतियों को व्यक्तिगत सेवा अथवा प्रमाणित डाक, जिसमें प्राप्ति की रसीद आवश्यक हो, से भेजा जाए। उच्चतम न्यायालय की समीक्षा हेतु दायर की गई याचिकाओं को आवश्यक तौर पर भेजा जाए व सेवा की प्रक्रिया के लिए विभाग के पंजीकृत ऐजेंट को संबोधित किया जाए :

A. John Q Lawyer

Chief Counsel

North Carolina Department of Commerce

Division of Employment Security

पत्र भेजने का पता : Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903

वास्तविक पता : 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

नोट : यदि आपको किसी अन्य पक्ष द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए दायर की गई याचिका हेतु याचिका की प्रति भेजी जाती है तो आप न्यायिक समीक्षा कार्यवाही के लिए एक पक्ष तब तक नही होंगें, जब तक (1) आप याचिका प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय को इस बारे में सूचित नही कर देते कि आप कार्यवाही का एक पक्ष बनना चाहते हैं, या (2) जैसाकि N.C. Gen. Stat. § 1A-1, Rule 24. में दिया गया है, हस्तक्षेप करने के लिए एक प्रस्ताव फाइल नही करते।

<u>सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना</u>

जैसाकि 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) में परिभाषित किया गया है, एक कानूनी प्रतिनिधि (जिसमें तीसरे पक्ष की कंपनी जोकि नियोक्ता के बेरोजगार बीमा प्रबंधक के तौर पर सेवाएं दे रही है, से व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।), के लिए अति आवश्यक है कि वह लाइसेंसधारी अटार्नी हो या एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे लाइसेंस धारी अटार्नी द्वारा N.C. Gen. Stat. Ch. 84 and § 96-17(b) का अनुपालन करते हुए निदेशित किया जा रहा हो। सूचना और /या अटार्नी के निदेशन की प्रमाणिकता को 04 N.C. Admin. Code 24C.0504 का अनुसरण करते हुए लिखित रूप में होना चाहिए। न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रस्तुतिकरण के साथ **N.C. Gen. Stat. Ch. 84.** का अनुपालन आवश्यक तौर से किया जाना चाहिए।

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 का अनुपालन करते हुए, जब एक पक्ष के पास कानूनी प्रतिनिधि हो, पक्ष को उपलब्ध करवाए जाने वाले सभी दस्तावेज या जानकारियों को केवल

कानूनी प्रतिनिधि को ही भेजा जाए। एक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को जो भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाऐगी, उसका उतना ही बल व प्रभाव होगा जितना कि पक्ष को सीधे तौर पर भेजी गई जानकारी का होता।

**30 जून 2013 को या उसके बाद फाइल किए गए क्लेम्स के लिए, दावेदार को किसी प्रशासनिक अथवा न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभ को अपील करने पर निर्णय के पलट जाने पर पुन: भुगतान का विषय मानना होगा।** N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2).

**दावेदार के लिए विशेष सूचना :** यदि आपने रेखांकित क्लेम से संबंधित बेरोजगारी बीमा लाभों को प्राप्त कर रहें हैं या पहले प्राप्त किया है व इस उच्चतम प्राधिकरण के निर्णय के नियम के तहत आप संपूर्ण लाभ या उसके एक भाग के लिए आयोग्य या अमान्य हो जाते हैं तो हो सकता है कि N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2). का अनुसरण करते हुए आपको लाभों का अतिरिक्त भुगतान किया गया हो। यदि उच्चतम प्राधिकरण के इस निर्णय के अनुसार अधिक भुगतान किया गया है तो आपको विभाग के Benefits Integrity/Benefit Payment Control Section. से अतिरिक्त भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण का एक अलग नोटिस भेजा जाऐगा। अतिरिक्त भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण के नोटिस में अन्य बातों के साथ, आपकी पुन: भुगतान की राशि या अन्य कोई जुर्माना राशि जो लागू होती हो, को भी निर्दिष्ट किया जाऐगा। कृप्या ध्यान दें, इस अतिरिक्त भुगतान राशि को चुनौती देने का केवल एक ही मार्ग है कि आप इस उच्चतम प्राधिकरण के निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के लिए नॉर्थ कैरोलिना के नियमों का पालन करते हुए याचिका दायर करें, जैसाकि ऊपर दिया गया है। आपकी याचिका में, आप यह आवश्यक तौर पर निर्दिष्ट करें कि आप अपील (1) विषय, अमान्यता या अयोग्यता के विषय या (2) निर्धारण के परिणाम स्वरूप आपको लाभों के अतिरिक्त भुगतान के बारें में है।

अपील फाइल की गई :

निर्णय प्रेषित किया गया :